ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–1, सेक्टर नॉलेजपार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतमबुद्ध नगर 201310

पत्रांकः–नियो0 / एम–1 / 2020 /
दिनांक / 09 / 2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की 119वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.08.2020 में संचालक मण्डल द्वारा उ0 प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों एवं पार्क हेतु भवन विनियमावली–2010(यथा संशोधित) एवं मास्टर प्लान डाक्यूमेन्ट में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त का विस्तृत विवरण प्राधिकरण बैबसाइट Website: www.Greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है। उक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति / सुझाव हों तो समाचार पत्र मे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सॉयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल अथवा आधिकारिक आईडी–vaibhavgupta@gnida.in के माध्यम से प्रभारी नियोजन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जा सकता है। आपत्ति / सुझाव देने वाले व्यक्ति / संस्था को अपना नाम,पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की 119वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.08.2020 में लिए गये निर्णय के क्रम में बैबसाइट पर 15 दिनों हेतु अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में विवरण।

1. **ग्रेटर नोएडा महायोजना–2021 के प्रस्तर संख्या 10.3 व 10.4 में प्रस्तावित संशोधनः–** प्रस्तर 10.3 के बिन्दु संख्या–63 में आंशिक संशोधन करते हुए लाजिस्टिक इकाईयॉ को mDRk गतिविधियों के साथ सम्मिलित किया है, साथ ही महायोजना–2021 के डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर संख्या 10. 4USES/USE ACTIVITIES PERMITTED IN USE PREMISESके बिन्दु संख्या–64 में भी स्टोरेज, गोडाउन तथा वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज के साथ लॉजिस्टिक यूनिट को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। जोकि निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः–

OLD PROVISION												
Clause no	Use Premises	U S E Z O N E S										
		R	C	M	I	Green areas		T1	T2	IG	Agri.	IIT
						P1	P2					
10.3(63)	Storage, godowns and warehousing, cold storage	NP	P	P	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP

NEW PROVISON												
clause no.	Use Premises	U S E Z O N E S										
		R	C	M	I	Green areas		T1	T2	IG	Agri.	IIT
						P1	P					
10.3(63)	Storage, godowns, warehousing, cold storage and Logistic Unit	NP	P	P	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP

OLD PROVISION		NEW PROVISON	
Clause no		Clause no	
10.4(64)	**STORAGE, GODOWN, WAREHOUSING AND COLD STORAGE** Storage, Godown, Warehousing and Cold Storage, Wholesale Outlet, Office Support facilities upto15% of FAR.	10.4(64)	**STORAGE, GODOWN, WAREHOUSING, COLD STORAGE AND LOGISTIC UNIT** Storage, Godown, Warehousing, Logistic Unit and Cold Storage, Wholesale Outlet, Office Support facilities upto15% of FAR.

2. **ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की भवन विनियमावली–2010 के प्रस्तर संख्या 24.4 में प्रस्तावित संशोधनः–**वर्तमान में प्रचलित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भवन विनियमावली के प्रस्तर संख्या 24. 4.1 कॉमर्शियल बिल्डिंग के अन्तर्गत तालिका के बिन्दु संख्या–7 में वेयरहाउसिंग/गोडाउन के भवनों के निर्माण हेतु अधिकतम 60 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज, अधिकतम एफएआर 2.0 अनुमन्य है तथा भवन की अधिकतम ऊँचाई के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नही है। अतः ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की भवन विनियमावली–2010 के उक्त प्रस्तर में आंशिक संशोधन करते हुए लाजिस्टिक इकाई को वेयरहाउसिंग/गोडाउन के साथ सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है जोकि निम्नानुसार पढ़ा जायेगा।

Old provision					New amendment				
Clause no.	Use	Maximum ground coverage	Maximum FAR	Maximum height in meters	Clause no..	Use	Maximum ground coverage	Maximum FAR	Maximum height in meters
24.4.1(7)	Warehousing/ Godowns	60%	1.50	No limit	24.4.1(7	Warehousing/ Godowns/ Logistic Unit	60%	1.50	No limit